प्रकरण संख्या : 45/2023
कन्हैयालाल वगै. बनाम राज. सरकार वगै.
निर्णय दिनांक : 12.03.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम : मूलचन्द लूणिया, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 45/2023
दायर दिनांक : 10.08.2023
निर्णय दिनांक : 12.03.2025

1. कन्हैयालाल पुत्र रामसहाय जाति माली, निवासी ग्राम भाण्डारेज तहसील व जिला दौसा
2. कैलाश पुत्र रामधन जाति माली, निवासी ग्राम भाण्डारेज तहसील व जिला दौसा
3. किशोर पुत्र गंगाराम जाति माली, निवासी ग्राम भाण्डारेज तहसील व जिला दौसा
4. गोरधन पुत्र रामनाथ जाति माली, निवासी ग्राम भाण्डारेज तहसील व जिला दौसा
5. राधेश्याम पुत्र छीतर जाति माली, निवासी ग्राम भाण्डारेज तहसील व जिला दौसा
6. पार्वती पत्नी छीतर जाति माली, निवासी ग्राम भाण्डारेज तहसील व जिला दौसा
7. प्रभू पुत्र रामनाथ जाति माली, निवासी ग्राम भाण्डारेज तहसील व जिला दौसा
8. परसादी उर्फ रामप्रसाद पुत्र गंगाराम जाति माली, निवासी ग्राम भाण्डारेज तहसील व जिला दौसा
9. बालू पुत्र गंगाराम जाति माली, निवासी ग्राम भाण्डारेज तहसील व जिला दौसा
10. भोमाराम पुत्र नाथू जाति माली, निवासी ग्राम भाण्डारेज तहसील व जिला दौसा
11. मीठालाल पुत्र रामसहाय जाति माली, निवासी ग्राम भाण्डारेज तहसील व जिला दौसा
12. मोहनलाल पुत्र रामनाथ जाति माली, निवासी ग्राम भाण्डारेज तहसील व जिला दौसा
13. रामकिशन पुत्र गंगाराम जाति माली, निवासी ग्राम भाण्डारेज तहसील व जिला दौसा
14. अणछी पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति माली, निवासी ग्राम भाण्डारेज तहसील व जिला दौसा
15. बाबूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति माली, निवासी ग्राम भाण्डारेज तहसील व जिला दौसा
16. भागचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति माली, निवासी ग्राम भाण्डारेज तहसील व जिला दौसा
17. लल्लू पुत्र रामनाथ जाति माली, निवासी ग्राम भाण्डारेज तहसील व जिला दौसा
18. विष्णु पुत्र रामधन जाति माली, निवासी ग्राम भाण्डारेज तहसील व जिला दौसा
19. संती पुत्री छीतर जाति माली, निवासी आभानेरी तहसील बांदीकुई जिला दौसा
20. कमली पुत्री छीतर जाति माली, निवासी भण्डारी तहसील सिकन्दरा जिला दौसा
21. विमला पुत्री छीतर जाति माली, निवासी सिकन्दरा तहसील सिकन्दरा जिला दौसा
22. कान्ता पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति माली, निवासी आभानेरी तहसील बांदीकुई जिला दौसा
23. केशन्ता पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति माली, निवासी आभानेरी के पास ग्राम बडागांव तहसील बांदीकुई जिला दौसा

प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा जिला दौसा

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
2. उपतहसीलदार भाण्डारेज
3. इलाहाबाद बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा रोड दौसा जिला दौसा
4. आईसीआईसीआई बैंक जरिए शाखा प्रबन्धक शाखा अलूदा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
5. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा भाण्डारेज
6. केनरा बैंक जरिए शाखा प्रबन्धक शाखा दौसा जिला दौसा (पूर्व सिण्डीकेट बैंक) जोधपुर स्वीट होम के पास दौसा
7. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक जरिए शाखा प्रबन्धक शाखा भाण्डारेज

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:40:26 IST
Reason: Self Attested

प्रकरण संख्या : 45/2023
कन्हैयालाल वगै॰ बनाम राज॰ सरकार वगै॰
निर्णय दिनांक : 12.03.2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भाण्डारेज तहसील भाण्डारेज जिला दौसा में भूमि खसरा नम्बर 2061, 2062, 2143, 2144, 2155 लगायत 2159, 2162 लगायत 2197, 2200 लगायत 2206 कुल किता 52 कुल रकबा 11.53 है॰ स्थित है। रिकॉर्ड में प्रार्थीगण कन्हैयालाल, कैलाश, किशोर, गोरधन, मृत्तक छीतर पुत्र रामनाथ, प्रभू पुत्र रामनाथ, परसादी पुत्र गंगाराम, बालू पुत्र गंगाराम, भोमाराम पुत्र नाथू, मीठालाल पुत्र रामसहाय, मोहनलाल पुत्र रामनाथ, रामकिशन पुत्र गंगाराम, मृत्तक लक्ष्मीनारायण पुत्र रामसहाय, लल्लू पुत्र रामनाथ, विष्णु पुत्र रामनाथ उक्त भूमि के खातेदार हैं एवं मौके पर अपने–अपने हिस्से पर काबिज हैं। खातेदारों में से छीतर पुत्र रामनाथ का देहान्त हो चुका है उसके उत्तराधिकारी प्रार्थी संख्या 5, 6, 19, 20, 21 हैं। इसके अलावा खातेदारों में से लक्ष्मीनारायण पुत्र रामसहाय का भी देहान्त हो गया है उसके उत्तराधिकारी प्रार्थी संख्या 14, 15, 16, 22, 23 हैं। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 खसरा नम्बर 2288 रकबा 0.01 है॰ भूमि की आड में प्रार्थीगण को व उनके परिवाजन को हैरान व परेशान करते रहे हैं एवं उनके विरुद्ध किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का आरोप लगाया जाता है एवं उन्हें यह धमकी दी जाती है कि उन्हे धारा 91 में सजा की जावेगी। उन्हें धारा 91(6) के अन्तर्गत न्यायालय में चालान पेश करके दण्डित भी करवाया जावेगा। यह कि प्रश्नगत आराजी को लेकर एक अनावश्यक विवाद पैदा हो जा रहा है एवं उसकी आड में प्रार्थीगण बिना वजह परेशान हो रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम भाण्डारेज तहसील भाण्डारेज स्थित भूमि खसरा नम्बर 2061, 2062, 2143, 2144, 2155 लगायत 2159, 2162 लगायत 2197, 2200 लगायत 2206 कुल किता 52 कुल रकबा 11.53 है॰ का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्णकांत शर्मा ने पावर पेश किया। अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री अम्बरीश कुमार शर्मा ने पावर पेश किया। अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री गौरव जैन ने पावर पेश किया। अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से अधिवक्ता श्री द्वारका प्रसाद शर्मा ने पावर पेश किया। अप्रार्थी संख्या 4 के विरुद्ध बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1, 2, 5, 7 द्वारा जवाब पेश न किये जाने के कारण इनका जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने के लिए प्रस्तुत किया है। जिसमें मिन अप्रार्थी संख्या 3 का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 3 के विरुद्ध कोई रिलीफ नहीं चाहा है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के विरुद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 6 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण ने मिन अप्रार्थी संख्या 6 को गलत तरीके से पक्षकार बनाया है। अप्रार्थी संख्या 6 के विरुद्ध कोई कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 6 के विरुद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मंनन किया गया। प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाना चाहते हैं।

उपखण्ड अधिकारी दौसा (राज॰)

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:40:26 IST
Reason: Self Attested

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी अनुसार ग्राम भाण्डारेज स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 2061, 2062, 2143, 2144, 2155 लगायत 2159, 2162 लगायत 2197, 2200 लगायत 2206 कुल किता 52 कुल रकबा 11.53 है. की खातेदारी प्रार्थीगण/उनके पूर्वजों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अर्थात् सीमाज्ञान व पत्थरगढी हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रश्नगत आराजी के खातेदारों/मृत्तक खातेदारों के वारिसान की ओर से प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत आराजी के सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने में किसी भी पक्षकार द्वारा आपत्ति होना जाहिर नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार भाण्डारेज को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम भाण्डारेज तहसील भाण्डारेज स्थित भूमि खसरा नम्बर 2061, 2062, 2143, 2144, 2155 लगायत 2159, 2162 लगायत 2197, 2200 लगायत 2206 कुल किता 52 कुल रकबा 11.53 है. का अनुभवी पटवारियों/भू-अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थीगण की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल सीमाज्ञान व पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार भाण्डारेज को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा जिला दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:40:26 IST
Reason: SelfAttested